न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :— 04 / 2025

अपीलाण्टः—

हरीराम उर्फ हीराराम पुत्र स्व. बीजाराम जाति भील निवासी देवलियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेन्टगणः—

1. राजूराम पुत्र हीराराम
2. चौथाराम पुत्र हीराराम
3. विशनाराम पुत्र हीराराम
4. भोमली पुत्र हीराराम

   सभी जातियान भील निवासी समदडी स्टेशन तहसील समदडी जिला बालोतरा

5. ग्राम पंचायत बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

नामान्तरकरण संख्या 697 ग्राम पंचायत बामसीन दिनांक 15.05.2025 के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सिवाना (बालोतरा)

उपस्थित :—

1. श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता अपीलकर्ता
2. श्री लादाराम परमार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 24.11.25

अपीलकर्ता द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध रा.भू.अ. की धारा 75 के तहत पेश की गई है। अपील का संक्षिप्त [illegible] प्रकार है कि सरहद मौजा देवलीयाली तहसील समदडी [illegible] संख्या [illegible]98 रकबा .9389 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो [illegible]कर्ता के दादा स्व. [illegible] उर्फ अजाराम पुत्र जोईता कौम भील को बतौर विरासत प्राप्त हुई थी, विवादित भूमि का अपीलकर्ता रेकडेर्ड खातेदारी है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अत्यन्त चालक प्रकृति का व्यक्ति है जो ग्राम समदडी स्टेशन का निवासी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

व दादा का नाम अपीलकर्ता के पिता व दादा से मिलता जुलता व जाति भी एक समान होने का नाजायज व कानून के विपरित अवैध तौर से षडयन्त्रपूर्वक उक्त वादग्रस्त भूमि अपने नाम करने की बदनियति से एक कूटरचित शपथ पत्र तैयार करवाकर विरासत के नामान्तरकरण हेतु आवेदन कर बाले बाले हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ग्राम पंचायत बामसीन से उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया जबकि उक्त वादग्रस्त आरजी का वास्तविक खातेदार अपीलण्ट है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को मृत बताकर अपीलाण्ट व उसके पिता का नाम समान होने का नाजायज फायदा उठाकर षडयंत्रपूर्वक उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन ग्राम पंचायत बामसीन से स्वीकृत करवा दिया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से काबिल अपास्त निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट ने धारा 5 परिसीमा अधि0 का प्रार्थना पत्र अपील के संलग्न पेश कर अपील अपीलकर्ता अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक स्वीकृत दिनांक 15.05.2025 को अपास्त किया जाना का निवेदन किया गया, म्याद के बिन्दू पर सुनवाई को सुरक्षित रखते हुए अपीलकर्ता की अपील दर्ज कर रेस्पोडेटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री लादाराम परमार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का जवाब बंद किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

अपीलकर्ता वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलकर्ता वकील की बहस है कि सरहद मौजा देवलियाली तहसील समदडी में खसरा संख्या 348/[illegible]98 रकबा [illegible] हेक्टेयर भूमि अवस्थित है, जो अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि है अपीलकर्ता उक्त [illegible] रेकर्डेड खातेदार है,उक्त भूमि पैतृक भूमि जो अपीलाण्ट के [illegible] अजाराम पुत्र जोईता को बतौर विरासत प्राप्त हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ग्राम समदडी स्टेशन के निवासी है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलकर्ता के नाम व पिता का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता व दादा के नाम व जाति भी मिलती जुलती होने का फायदा उठाते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलकर्ता का जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष में करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से स्वीकृत करवा दिया। वादग्रस्त भूमि अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि है,। नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 15.05.2025 विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जावे।

हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। म्याद की बिन्दू का निस्तारण किया जाना आवश्यक होने से म्याद की बिन्दू का निस्तारण किया जा रहा है, अपीलकर्ता ने सशपथ प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलकर्ता को प्रश्नगत नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 03.11.2025 को हुई, तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा तहसीलदार समदडी को नामान्तरकरण की अभ्यापति पेश की गई तहसीलदार समदडी का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण अपीलकर्ता द्वारा उक्त अपील न्यायालय श्री में पेश की गई है, तहसीलदार समदडी के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.11.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन किया है तथा अपीलकर्ता द्वारा उक्त अपील भी समयावधि में प्रस्तुत कया गया है लिहाजा अपीलकर्ता की अपील म्याद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 15.05.2025 का अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र हरीराम पुत्र बीजाराम का मृत्यु प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर हरीराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज किया गया है, जबकि अपीलकर्ता जीवित है तथा उसके द्वारा ही प्रश्नगत नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने का अपील प्रस्तुत किया गया है, रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ने अपने जवाब में कथन किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेण्ट [illegible] ने प्रश्नगत नामान्तरकरण को स्वीकृत किया है, रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि है मौके पर अपीलकर्ता का ही कब्जा काश्त है,विवादित भूमि अपीलकर्ता के दादा स्व.अजीया उर्फ अजाराम पुत्र जोईता जाति भील का बतौर विरासत प्राप्त हुई, अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 348/98 का मूल खसरा संख्या 98 है उक्त खसरे का विभाजन सवाराम, बीजाराम, खीमाराम पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:04 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अजाराम द्वारा खसरा संख्या 98 का विभाजन करवाया गया वर्तमान में बीजाराम के वारिसो द्वारा भी उक्त खसरे का बंटवाडा करवाया है माफिक बंटवाडा सभी काश्तकार कब्जा काश्त है। अपीलकर्ता भी माफिक बंटवाडा मूल खसरा संख्या 98 के विभाजित खसरा संख्या 348/98 रकबा 5.16 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है, तहसीलदार समदडी के जवाब के संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ग्राम समदडी स्टेशन के निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा गलत शपथ पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत गलत शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व हीराराम पुत्र बीजाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की विधि अनुसार पूर्ण जांच करने के पश्चात ही नामान्तरकरण को स्वीकृत करने चाहिये रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने ऐसा नहीं कर अपने कर्त्तव्य की प्रति लापरवाही तथा गंभीर भूल की है। उपरोक्त विवेचन से अपीलकर्ता की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा अपीलाकर्ता की अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलीयाली तहसील समदडी के अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 697 स्वीकृत दिनांक 15.05.2025 को अपास्त कर सरहद मौजा देवलियाली तहसील समदडी में खसरा संख्या 348/98 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमिं में अपीलकर्ता हरिराम उर्फ हीराराम का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.)
सिवाना (बालोतरा)